

न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका

एस0 आर0 वाद सं0-109/02-03

भागीरथ राणा, पिता-स्व0 हुदुम राणा, सा0-ठेकाहा अंचल-मसलिया
- बनाम -

16 आना रैयत, मौजा-ठेकाहा, अंचल-मसलिया, जिला-दुमका

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
09.09.2025	प्रस्तुत एस0आर0 वाद सं0-109/02-03 भागीरथ राणा पिता-स्व0 हुदुम राणा, सा0-ठेकाहा, अंचल-मसलिया बनाम 16 आना रैयत मौजा-ठेकाहा, अंचल-मसलिया, जिला-दुमका से संबंधित अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका के न्यायालय से उनके पत्रांक-488/भू0सु0, दिनांक-17.07.2025 से अधोहस्ताक्षरी को अंतिम आदेश पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका का दिनांक-31.05.2025 का निर्णय जिसका ज्ञापांक-37(मु0), दिनांक-31.06.2025 है, अभिलेख में संधारित है। एस0आर0 वाद सं0-109/02-03 के अपीलार्थी भागीरथ राणा पिता-स्व0 हुदुम राणा, सा0-ठेकाहा, अंचल-मसलिया के द्वारा दिनांक-06.01.2023 को अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका को सम्बोधित कर मसलिया अंचल अन्तर्गत मौजा-ठेकाहा, जमाबंदी नं0-32, प्लॉट नं0-424, रकवा-एक एकड़, किस्म-झांटी-जंगल को अपने नाम से बंदोबस्त करने का आवेदन समर्पित किया है। आवेदक का कथन है कि उक्त प्लॉट को उन्होंने धानी दोयम के रूप में परिवर्तित कर अपने दखल में रखा है। इस प्लॉट से सटा हुआ प्लॉट नं0-423 उनकी ही भूमि है। इस आधार पर आवेदक ने जमाबंदी नं0-32 के प्लॉट सं0-424 का रकवा-एक एकड़ को अपने नाम से बंदोबस्त करने का अनुरोध किया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में वाद की सुनवाई की गई तथा अंचल अधिकारी मसलिया से प्राप्त अनुशंसा सहित जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक भागीरथ राणा, पिता-हुदुम राणा,	

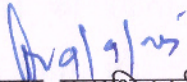
सा0-ठेकाहा, अंचल-मसलिया को उसी मौजा-ठेकाहा के खाता सं0-43, दाग सं0-424, किस्म-जंगल साल होने के कारण उक्त भूमि की बन्दोवस्ती आवेदक के साथ करने की अनुशंसा नहीं की गई है।

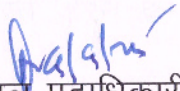
अभिलेख में संधारित अंचल अधिकारी, मसलिया का जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल वाद सं0-202/95 टी0एन0 गोवर्धन थीरूमलकपाद बनाम भारत सरकार के मामले में दिनांक-12.12.1996 को पारित आदेश के अनुसार सरकारी अभिलेख (अधिसूचित सीमांकित वन भूमि के अलावे) खतियान पार्ट 2 में जंगल-साल, जंगल-राखा, जंगल-झाड़ी, जंगल आदि के रूप में दर्ज है वहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सभी प्रावधान लागू होंगे। इसलिए ऐसी भूमि पर बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई भी वाणिकी कार्य करना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जाएगा। अंचल अधिकारी, मसलिया ने प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि की बन्दोबस्ती आवेदक के साथ नहीं की जा सकती है।

आवेदक की भूमि बन्दोबस्ती संबंधी आवेदन, अंचल अधिकारी, मसलिया के जांच प्रतिवेदन तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका के द्वारा जंगल-झाड़ी, जंगल आदि किस्म की भूमि का आवेदक के नाम से बन्दोबस्त नहीं करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक की भूमि बन्दोबस्ती संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी


अनुमंडल पदाधिकारी
दुमका।